प्रेस विज्ञप्ति

30.01.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने **हिमाचल प्रदेश के ब्यास नदी और सहारनपुर (यूपी) के यमुना नदी से संबंधित अवैध खनन मामले में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है।** माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), गाजियाबाद के समक्ष दायर अभियोजन शिकायत में ज्ञान चंद और अन्य 7 व्यक्तियों को इस मामले में आरोपी ठहराया गया है। माननीय न्यायालय ने 17.01.2025 को ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत का भी संज्ञान लिया है।

यह मामला औपचारिक शिकायतों और खुफिया सूचनाओं के आधार पर शुरू किया गया था, जिसमें यह आरोप था कि ज्ञान चंद सहित कई खनन माफियाओं ने ब्यास नदी के नदी तल (रिवरबेड) पर अवैध रेत और खनिज खनन कार्य किया है और इन अवैध खनन कार्यों से सैकड़ों करोड़ रुपये के अपराध के आगम (पीओसी) अर्जित किए हैं। ईडी ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और ऊना जिलों के विभिन्न पुलिस थानों में अवैध खनन से संबंधित दर्ज छह प्राथमीकियों के आधार पर जांच शुरू की। प्राथमीकियों में यह आरोप है कि सरकारी भूमि पर अवैध खनन गतिविधियां की जा रही हैं और हिमाचल प्रदेश के ऊना और कांगड़ा जिलों में टिपर, पोकलेन, जेसीबी और ट्रैक्टर अवैध खनन कार्य में सक्रिय रूप से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये वाहन खनिजों को अवैध रूप से निकालने में इस्तेमाल किए जा रहे थे और परिणामस्वरूप इन खनिजों को ओवरलोडड वाहनों में भरकर स्टोन क्रशर तक अवैध रूप से पहुंचाया जा रहा था। ज्ञान चंद और अन्य के खिलाफ बेहट पुलिस स्टेशन, सहारनपुर में भी आईपीसी, 1860, सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 और खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (संशोधित) की धाराओं के तहत दिनांक 01.11.2024 को एक और प्राथमिकी दर्ज की गई। व्यापक स्तर पर जांच करने के लिए, इस मामले में यूपी पुलिस की एक अन्य प्राथमिकी को भी जांच के दायरे में लिया गया है।

इससे पहले, ईडी ने ज्ञान चंद और उसके सहयोगी संजय कुमार उर्फ संजय धीमान को 18.11.2024 को गिरफ्तार किया था। ईडी द्वारा आगे की जांच के परिणामस्वरूप 03.01.2025 को 4.9 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति भी कुर्क की गई।

जांच के दौरान हिमाचल प्रदेश और सहारनपुर में ज्ञान चंद और उसके सहयोगियों सहित कई खनन माफियाओं के परिसरों में 12 तलाशी ली गई और कई लोगों के बयान दर्ज किए गए। जब्त की गई सामग्री की

जांच करने पर यह पता चला कि ज्ञान चंद और उसके सहयोगी ब्यास नदी से लेकर यमुना नदी तक अवैध खनन कार्यों में शामिल हैं। अवैध खनन से अर्जित अपराध के आगम का इस्तेमाल अचल संपत्तियों और खनन मशीनरी जैसे कि ट्रक, टिपर, जेसीबी, क्रशर आदि के क्रय में किया गया है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।